उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग
संख्याः ३७ /VII-1/17–उद्योग/2013
देहरादून : दिनांकः ०८ जनवरी, 2014

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार की अमृतसर–दिल्ली–कोलकता इण्डस्ट्रियल कोरिडोर योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में वृहद उद्योगों की स्थापना एवं पूंजी निवेश को प्रोत्साहित किए जाने तथा अन्य राज्यों के समान ही ऐसे उद्योगों को VAT में छूट दिये जाने एवं राज्य में मेगा इण्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन दिये जाने के उद्देश्य से अन्य राज्यों की भांति उत्तराखण्ड राज्य में VAT में निम्नानुसार छूट प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

मेगा इण्डस्ट्रीयल तथा इन्वैस्टमैन्ट पॉलिसी, 2013 के अन्तर्गत राज्य में रू0 300 करोड़ (रू0 तीन सौ करोड़ मात्र) अथवा उससे अधिक का पूंजी निवेश करने वाली औद्योगिक इकाईयों के लिए 10 वर्षों के लिए VAT में 50 (पचास) प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है।

(सकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः ३७ (1)/VII-1/17–उद्योग/2013, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. मण्डलायुक्त, कुमायूं/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त को आगामी गजट में प्रकाशित करते हुए, की 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
अपर सचिव।